(128)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3591/2018/इंदौर/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 31.05.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 137/अपील/2017-18.

शंकरलाल पिता भागीरथ,
निवासी- ग्राम केशरीपुरा, तहसील सांवरे,
जिला इंदौर, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती गीताबाई पति भागीरथ,
   निवासी- केशरीपुरा, तहसील सांवेर,
   जिला इंदौर, म.प्र.
2. श्रीमती गिरजाबाई पति कृपाराम,
   निवासी 362, राजनगर, इंदौर
3. लालसिंह पिता भागीरथ
4. श्रीमती लीलाबाई पति तेजकरण
5. ओमकान्ताबाई पति इंदरलाल
6. श्रीमती गीताबाई पति स्व. चौथमल
7. पिंकी पिता स्व. चौथमल
8. चिंटी पिता स्व. चौथमल
9. कन्हैयालाल पिता स्व. चौथमल अज्ञान
   तर्फे माता श्रीमती गीताबाई पति स्व. चौथमल
10. मध्यप्रदेश शासन द्वारा
    तहसीलदार, सांवेर, जिला इंदौर .....अनावेदकगण

श्री श्रीकांत घंटे, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी.के. गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1 व 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/2/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंरौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 31.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 व 2 द्वारा तहसीलदार, तहसील सांवेर के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम केशरीपुरा, तहसील सांवेर जिला इंदौर में आवेदक एवं अनावेदकगण के संयुक्त भूमिस्वामी स्वत्व की कृषि भूमि कुल रकबा 8.816 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में अंकित है। उपरोक्त भूमि में से अनावेदकगण अपना-अपना हिस्सा अलग करवाना चाहते हैं, ताकि वह अपने हिस्से व हक की भूमि पर स्वतंत्र रूप से कृषि कार्य करके उसका उपयोग एवं उपभोग कर सके। अतः अनावेदकगण का आवेदन स्वीकार कर प्रत्येक का 1/8 उनके हिस्सा अलग किया जाये तथा संबंधित पटवारी से बटाफर्द तैयार करवाकर अनावेदकगण को उनके हिस्से अनुसार शामलाती खाते से अलग कर भू-अधिकार पुस्तिका बनाई जाये। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 01/अ-27/12-13 दर्ज कर विज्ञप्ति का प्रकाशन कर आपत्तियां आमंत्रित की गईं तथा संबंधितोंको आहूत किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में आवेदक शंकरलाल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा दिनांक 26.05.2015 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आवेदक द्वारा हक की घोषणा का वाद व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सांवेर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें वाद सूचना पत्र जारी होकर अनावेदकगण को तामील हो चुके है। इसलिए वादोक्त भूमि के संबंध में स्वत्व के निर्धारण एवं बंटवारा करने का अधिकार सिविल कोर्ट को होने से राजस्व न्यायालय को इसका क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। इसलिए अनावेदकगण का बंटवारा आवेदन एवं बंटवारा प्रकरण समाप्त किया जाये। इस आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 23.06.2015 को आदेश पारित कर व्यवहार न्यायालय में प्रचलित वाद को दृष्टिगत रखते हुए बंटवारा प्रकरण समाप्त किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.07.2017 से स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31.05.2018 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक तर्कों एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदक क्र. 1, 2, 4, 5 विवाहित बहनें हैं, जो परिवार की नहीं थी, उनके विवाह के पश्चात् आवेदक के माता-पिता ने अपने जीवनकाल में अपने तीनों पुत्रों के मध्य कस्बा सांवेर की कृषि भूमियों बावद एक पारिवारिक व्यवस्था लेख दिनांक 24.06.1997 को निष्पादित किया था, जिस पर आवेदक अनावेदक क्र. 3 एं स्व. चौथमल पिता भागीरथ जी के हस्ताक्षर किये थे, जिसकी प्रमाणित प्रति अपील प्रकरण में संलग्न है। आवेदक के माता-पिता ने कस्बा सांवेर की कृषि भूमि नंबर 13, 16/1, 18/3, 45/2/3, 237/1/1, 268/1/1 कुल रकबा 11.214 हैक्टेयर में से शेष भूमि का कृषकाधिकार कब्जा मौके पर दे दिया था।

(2) माता-पिता द्वारा निष्पादित पारिवारिक व्यवस्था लेख दिनांक 24.06.1997 का खण्डन आवेदक के माता-पिता एवं विवाहित बहनों से नहीं किया और किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई, पारिवारिक व्यवस्थापन लेख विधिमान्य होकर परिवार के सदस्यों पर बंधनकारी है। इसलिए तहसीलदार ने अपने न्यायलयीन प्रकरण क्र. 1/अ-27/12-13 अपने आदेश दिनांक 23.06.2015 में यह उल्लेख किया है कि उभयपक्षों के मध्य पारिवारिक बंटवारा हो चुका है तथा कुछ ने बंटवारे के आधार पर भूमि विक्रय भी कर दी गई है, इसलिए अनावेदक क्र. 1, 2 का बंटवारा आवेदन तहसीलदार, सांवेर ने खारिज किया है, जो यथावत् रखे जाने योग्य है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 5 के आधार पर मौखिक बंटवारा भी करने का अधिकार आवेदक के माता-पिता को था। इस संबंध में 1996 आर.एन. 292 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने न्यायालयीन अपील प्रकरण क्रमांक 35-ए/2014-15 में दिनांक 11.07.2017 को जो आदेश पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सिविल कोर्ट प्रकरण क्रमांक 17-ए/2016 दिनांक 29.04.2016 वाद निरस्ती का आदेश से त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं, वास्तव में सिविल कोर्ट द्वारा पारिवारिक व्यवस्था लेख के विरूद्ध कोई टिप्पणी नहीं की गई है, केवल पटवारी रिकॉर्ड पर नामांतरण के आधार पर निर्णय पारित किया है, इस आधार पर जो निष्कर्ष अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किये गये हैं, वे निरस्त किये जाने योग्य हैं, साथ ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के आधार पर रिकॉर्ड पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं साक्ष्य के आधार पर जब माता-पिता ने अपने जीवनकाल में कृषिखाते की भूमि का कब्जा अपने तीनों पुत्रों को दिनांक 24.06.1997 को दिया जा चुका था, तो पटवारी हल्का की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट बुलवानी थी तथा लिखित कथन लेना थे, किंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विहित नियमों का पालन किये बिना मनमाना आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) माता-पिता ने अपने तीनों पुत्रों को कृषकाधिकार प्रदान कर दिये थे, इसी आधार पर बंटवारा प्रकरण क्र. 14/अ527/2000-01 में दिनांक 23.04.2001 को बंटवारा आदेश पारित किया है, जिसमें जो आवेदन मृतक भागीरथ पिता नन्दा द्वारा प्रस्तुत आवेदन में बंटवारा किया जाना स्वीकार किया है, उसी प्रकार आवेदक की माता मृतका रूखमाबाई द्वारा भी बंटवारा प्रकरण 14/अ-27 में दिनांक 12.02.2001 को अपना लिखित कथन कर स्वीकार किया है कि आपसी बंटवारा हो चुका था।

(5) माता-पिता ने अपने जीवनकाल में पारिवारिक व्यवस्था लेख दिनांक 24.06.1997 को पारिवारिक विभाजन कर दिया था, जो कि महत्वपूर्ण सुसंगत साक्ष्य है, साथ ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक कब्जे के जांच रिपोर्ट नहीं मंगवायी, भूमि पर किसका कब्जा है और कौन कृषि कार्य कर रहा है, किसका कितने हिस्से पर काबिज है, इसका सत्यापन नहीं कराया और केवल खसरा बी-1 में अंकित नामांतरण के आधार पर बंटवारा आदेश पारित किये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं, क्योंकि इस न्यायालय के न्याय दृष्टांत रामकिशन विरूद्ध चम्पालाल तथा 1996 आर.एन. 292 के प्रावधान लागू होते हैं, जिसके आधार पर पारिवारिक बंटवारा विधि मान्य होकर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता साथ ही उक्त पारिवारिक व्यवस्था लेख को मुद्रांक शुल्क से मुक्त रखा गया है और उसके पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 881 प्रावधान लागू होते हैं, क्योंकि अविभाज्य हिंदू परिवार के सदस्यों पर मिताक्षरा विधि के अंतर्गत माता-पिता एवं पुत्र सक्षम पक्षकार हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत ए.आई.आर. 1988 सुप्रीम कोर्ट 881 के अनुसार पारिवारिक व्यवस्था लेख एक प्रकार का पारिवारिक कृषि कार्य का बंटवारा प्रारूप है, जो सभी पर बंधनकारी एवं विधि मान्य है। पुत्रियों का विवाह हो जाने से वे हिंदू परिवार की सदस्य नहीं हैं, माता-पिता एवं पुत्रों द्वारा निष्पादित व्यवस्थापन लेख विधि मान्य है, क्योंकि खसरा में नामांतरण के आधार पर स्वत्व का अर्जन नहीं होता। संहिता की धारा 109, 110 के आधार पर विधिपूर्वक कब्जा आवेदक ने अपने माता-पिता से अर्जित किया है, माता-पिता ने पुत्रियों को कृषकाधिकार प्रदान नहीं किये थे, वे पक्षकार भी नहीं हैं। अनावेदक क्र. 1 व 2 छल कपट करके बाले-बाले नामांतरण करवा लिया, उसके आधार पर उनको स्वत्व एवं स्वामित्व का अर्जन नहीं होता है। 1997 एस.सी.सी. 734 संहिता की धारा 178-ए के आधार पर भी माता-पिता को अपने जीवनकाल में भूमि का विभाजन के

अधिकार प्रदान किये हैं। सिविल कोर्ट द्वारा भी पारिवारिक व्यवस्था लेख के विरूद्ध टिप्पणी नहीं की है, अनुविभागीय अधिकारी को साक्ष्य का परिशीलन करना था तथा पटवारी जांच रिपोर्ट एवं मौका पंचनामा बनाकर उसके आधार पर अपील का निराकरण किया जाना था, किंतु अनुविभागीय अधिकारी ने बिना जांच एवं बिना साक्ष्य के आधार पर दिनांक 31.05.2018 को आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(6) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश का अवलोकन नहीं किया तथा प्रकरण संलग्न पूर्व के बंटवारा प्रकरण क्रमांक 14/अ-27/2000-01 में दिनांक 23.04.2001 का निर्धारण नहीं किया, जो कि महत्वपूर्ण साक्ष्य था। अनुविभागीय अधिकारी ने बिना जांच एवं बिना साक्ष्य के आधार पर दिनांक 31.05.2018 को आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार अनावेदक क्र. 1 व 2 छल कपट करके न्यायालय को अंधकार में रखकर जो नामांतरण करा लिया है, इसमें अनावेदक क्र. 3 के पास पारिवारिक व्यवस्था लेख की मूल प्रति थी, अनावेदक क्र. 3 ने इसकी जानकारी तहसीलदार को नहीं दी। अनावेदक क्र. 3 पारिवारिक कृषि खाते की भूमि को विक्रय करने का प्रयास किया था, इसलिए आवेदक को सिविल कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। आवेदक की माता की तबियत खराब थी और माता अनावेदक क्र. 3 के पास रहती थी, पारिवारिक व्यवस्था लेख की मूल प्रति भी अनावेदक क्र. 3 के पास थी, जिसका दुरूपयोग करके अनावेदक क्र. 3 ने माता ने सर्वे नंबर 18/3 को रजिस्ट्री दिनांक 06.03.2010 को निष्पादित करवा ली और आवेदक की माता की मृत्यु दिनांक 10.03.2010 को हो गई। इस प्रकार आवेदक के साथ छल किया है, जिसके कारण आवेदक को अपूर्णीय क्षति हुई है। सुसंगत व रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने निष्कर्ष निकालने में गंभीर त्रुटि की है, इसलिए उक्त अपील प्रकरण क्र. 35 को निगरानी में लिये जाकर निरस्त करना जरूरी है।

(7) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने अपील प्रकरण क्र. 137/2017-18 दिनांक 31.05.2018 में तहसीलदार द्वारा दिनांक 23.06.2018 को पारित का अवलोकन व परीक्षण नहीं किया और सिविल कोर्ट के वाद प्रकरण क्र. 17-ए/2016 में दिनांक 19.04.2016 को आवेदकको वाद निरस्त किया, परंतु सिविल कोर्ट द्वारा पारिवारिक व्यवस्था लेख के विरूद्ध कोई टीका-टिप्पणी नहीं की तथा वाद निरस्ती आदेश में बंटवारा किये जाने बावद कोई आदेश पारित नहीं किया । सिविल कोर्ट के आदेश को आवेदकगण द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, इंदौर में चुनौती दी गई है जिसका प्रकरण क्रमांक

22ए/2016 है, जो विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं है और सिविल कोर्ट के निर्णय के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित कर गंभीर त्रुटि की है। अपर आयुक्त द्वारा भी तहसीलदार के आदेश का अवलोकन नहीं किया गया और अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 31.05.2018 भी अपास्त किये जाने योग्य है।

(8) अपर आयुक्त द्वारा इस बिंदु पर गंभीरता से विचार नहीं किया कि आवेदक के पारिवारिक व्यवस्था लेख दिनांक 24.06.1997 में अनावेदक क्र. 1, 2, 4, 5 पक्षकार नहीं है और वे परिवार की सदस्य भी नहीं है, उनका विवाह हो चुका था, उनको आवेदक के माता-पिता ने पारिवारिक व्यवस्था लेख में कुछ भी नहीं दिया था, पारिवारिक व्यवस्था लेख एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होकर सुसंगत साक्ष्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत ए.आई.आर. 1992 पटना 128 के आधार पर पारिवारिक के जिन सदस्यों को भूमि का कब्जा दिया जा चुका था, वे अपने-अपने हिस्से में कृषि कार्य कर रहे और उनको उक्त कृषि भूमि पर कृषकाधिकार भी नहीं दिये हैं। इस पर विबंध के सिद्धां लागू होते हैं, अनावेदक क्र. 1, 2 को नामांतरण से स्वत्व का अर्जन नहीं होता है। इसलिए अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश भी अपास्त किये जाने योग्य है, क्योंकि आवेदक की भूमि हिंदू कुटुम्ब की भूमि होकर उसका विभाजन आवेदक के माता-पिता ने अपने जीवन काल में कर दिया है, आवेदक वर्षों से अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है। ऐसा अनुबंध विधिमान्य है, इस संबंध में ए.आई.आर. 1966 सुप्रीम कोर्ट का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(9) पारिवारिक व्यवस्थापन लेख परिवार के सभी सदस्यों पर बंधनकारी है, विवाहित पुत्रियां परिवार की सदस्य नहीं होती है। माता-पिता व तीनों पुत्रों के मध्य दिनांक 24.06.1997 को निष्पादित अनुबंध विधिमान्य एवं बंधनकारी है। विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, क्योंकि यह एक प्रकार का मृत्युकालीन कथन है, जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक क्र. 3, 4, 5 व अनावेदक क्र. 6 से 9 तक एकपक्षीय है अर्थात् इनकी पारिवारिक व्यवस्थापन पर मौन स्वीकृति है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत ए.आई.आर. 1979 सुप्रीम कोर्ट 982 के प्रावधान लागू होते हैं। माता-पिता का पूरी सेवा व अंतिम समय तक घाटा मृत्युभोज एवं अन्य खर्च भी आवेदक व अनावेदक क्र. 3 ने उठाया है, अनावेदक क्र. 1 व 2 ने कोई सहयोग प्रदान नहीं किया, माता की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों के

साथ छल, कपट करके अपना नामांतरण तहसीलदार से करवा लिया था, किंतु नामांतरण से स्वत्व एवं स्वामित्व अर्जित नहीं होता।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 1 व 2 के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ अनावेदक क्र. 3 से 9 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उने द्वारा सकारण बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया जाकर अति संक्षिप्त प्रकृति का का आदेश पारित किया गया है, जबकि उनका यह विधिक दायित्व था कि वे उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर प्रश्नाधीन भूमियों की अद्यतन स्थिति की जांच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए आदेश पारित करते । अत: अनुविभागीय अधिकारी का आदेश इसी आधार पर अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है । इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है कि तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2012-13 में 13 सहखातेदारों के नाम दर्ज हैं, और बटवारा आवेदन पत्र में प्रश्नाधीन भूमि का 1/8 हिस्से के मान से बंटवारा चाहा गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण के पृष्ठ 157 पर संलग्न खसरे में केवल सर्वे नंबर 13 रकबा 3.116 हैक्टर के ही आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 9 अभिलिखित भूमिस्वामी हैं, शेष प्रश्नधीन भूमि के स्वर्गीय भागीरथ अकेले भूमिस्वामी हैं और संहिता की धारा 178 के अंतर्गत अभिलिखित सहखातेदारों के मध्य ही बंटवारा किये जाने का प्रावधान है, परंतु उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का बंटवारा आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 9 के मध्य 1/7 हिस्से के मान से करने में संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी को सर्वप्रथम मृत भागीरथ

की भूमि के स्वत्व का निराकरण कराकर राजस्व अभिलेखों को संशोधित कराना था तत्पश्चात अभिलिखित सहखातेदारों के मध्य प्रश्नाधीन भूमि का बंटवारा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप करते । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक होने से निरस्ती योग्य है और चूंकि अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के विधि विपरीत एवं अनुचित आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिए उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । आवेदक की ओर से लिखित तर्क में यह आधार लिया जा रहा है कि अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा वर्ष 2001 में अपने हिस्से की भूमि प्राप्त कर विक्रय करदी गई है और पारिवारिक व्यवस्था-पत्र में हुए बंटवारे में हस्तक्षेप करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है । इस संबंध में अनेक न्यायदृष्टांत भी प्रस्तुत किये गये हैं । अत: प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किए जाकर प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-7-2017 एवं अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2018 निरस्त किए जाते हैं तथा प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर आदेश पारित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर